

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं. 152/21

सुरेन्द्र सिंह बनाम बिजेन्द्र सिंह

किस्ममुकदमा- धारा.212.....राज.काश्त. अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स/जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.021	<p>यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अभिभाषक श्री बी.एल. शर्मा ने प्रस्तुत किया। सायल अभिभाषक को सुना गया। सायल अभिभाषक ने प्रार्थना पत्रानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या (Prima-Facie) प्रकरण में सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति सिद्धान्त प्रार्थी/सायल के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख दिनांक 25.01.022 तक उभय पक्ष (प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण) के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित खसरा नम्बर 1846 से 1848 तक, 2651/1844, 2653/1845 ग्राम हिंगोटा तहसील बैजूपाडा के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। साथ ही उक्त आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत, कब्जे काश्त में रुकावट, मदाखलत ना तो स्वयं करेंगे, नाही किसी अन्य से करावें। उक्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन नही करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रार किया जावें। पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी कर दिनांक 25.01.022 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	
25.1.22	<p>पत्रावली पेश हुई। कोविड -19 महामारी के कारण न्यायिक कार्य स्थगित हैं। अतः पत्रावली पत्रानुसार दिनांक 18/02/22 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p> <p>दिनांक. 18/02/22 आज पत्रावली पेश हुई है। वकील वादी पक्ष एपस्थित। पी. ओ. साहब निरवकाश अन्तरिम कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पत्रानुसार दिनांक. 16/02/22 को पेश है।</p> <p>दिनांक. 16/03/22 पत्रावली पेश हुई। पी. ओ. साहब अन्तरिम कार्य स्थगित होने से उपरल तारीख पेशी हो गई। नूत आदेश को पालना में पत्रावली दिनांक. 12/11/22 को पेश हो। नूत अप्रार्थी से 01 की मोर ले वजाप पेश हुई।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	

12/4/22

पत्रावली पेश हुई। अग्रार्थी वकील उपस्थित।
शेष की तलबी हेतु तलवाना समत पेश
करे। बाबत जवाब व तलबी दिनांक
12.05.2022 को पेश है।

दिनांक 12/5/22

पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. (A.E.V. 2-5)
कार्य व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी
हो गई। गत आदेश की पालना में पत्रावली
दिनांक 2/4/22 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
मन्सूर (बीक)

हरतालार रीडर

दिनांक 07.04.22

पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य
कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी
हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में
दिनांक 01.07.22 को पेश है।

दिनांक 01.07.22

पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य
कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी
हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में
दिनांक 04.08.22 को पेश है।

04/08/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उलम पक्ष उपस्थित।
अग्रार्थी वकील ने जवाब सा.पत्र पेश करके हेतु
स्वयं चार्ज। एक ओर अपसर डिफा जा रहा है।
अग्रार्थी संख्या 02 की शामिल होकर
पत्रा.दि. 06/09/22 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
मन्सूर (बीक)

दिनांक 06/09/22

पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य
कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी
हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में
दिनांक 11.10.22 को पेश है।

दिनांक 11/10/22

पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य
कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी
हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में
दिनांक 22/11/22 को पेश है।

दिनांक 22/11/22

पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य
कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी
हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में

03/01/23

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम— मण्डावर (दौसा)

सुरेन्द्र

बनाम

बिजेन्द्र वगैरह

किस्म मुकदमा — प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नंबर ...152/21..... सन.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2023	<p>गत पेशी दिनांक 02.05.2023 को मंत्रालयिक कर्मचारियों की हडताल होने के कारण आज पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैम्प हिंगोटा पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित आये। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद पक्षकारान की आपसी सहमति से विद्धो करने के कारण खारिज हो चुका है। इस प्रार्थना पत्र का अब आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। दिनांक 24.12.2021 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त (Vacate) की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय दिनांक 15.05.2023 प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैम्प हिंगोटा में लिखाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी (दौसा) मंडावर(दौसा)</p>	<p>प्रार्थना Surender Singh</p> <p>अप्रार्थीगा बिजेन्द्र वगैरह</p> <p>शुद्धा देवी</p>